न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 55/2022

1 सज्जनराम पुत्र मालाराम।
2 बिमला पुत्री मालाराम।
3 रामस्वरूप पुत्र सीताराम।
4 ओमप्रकाश पुत्र सीताराम।
5 सुभाष पुत्र सीताराम।
6 सम्पति पुत्री सीताराम।
7 मुन्नी पुत्री सीताराम।
8 लक्ष्मण पुत्र सीताराम समस्त जाति वाल्मिकी (भंगी) निवासी कस्बा बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी
एक्ट अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू बउनवानी सज्जन कुमार आदि बनाम राजस्थान सरकार
मुकदमा नम्बर 50/2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

उपस्थिति :

1. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवंक्ता

—निर्णय—

दिनांकः— 27/12/2023

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 50/2015 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने कस्बा बगड़ की भूमि गत खसरा नम्बर 784, 785 हाल खसरा नम्बर 447, 448 के संदर्भ में गैर खातेदारी से खातेदारी की उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 784, 785 काश्तकारी की भूमि रही है। इसकी पुष्टी खसरा गिरदावरी में अंकित काश्त के अंकन से होती है। इस भूमि के नवीन खसरा नम्बर 447, 448 बने है। यह भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। विधि अनुसार अपीलांट गैर खातेदारी से खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय में केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में सहवन से किस्म आबादी दर्ज होने के आधार पर दावा खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर वाद वादी डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट से इसकी पुष्टी होती है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 784, 785 काश्तकारी की भूमि रही है। इसकी पुष्टी खसरा गिरदावरी में अंकित काश्त के अंकन से होती है। इस भूमि के नवीन खसरा नम्बर 447, 448 बने है। यह भूमि अपीलांट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। विधि अनुसार अपीलांट गैर खातेदारी से खातेदारी की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय में केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में सहवन से किस्म आबादी दर्ज होने के आधार पर दावा खारिज कर दिया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं है। प्रथम तो खसरा गिरदावरी में काश्त के अंकन से विवादित भूमि आबादी की नहीं होकर काश्त की होना प्रकट है। द्वितीय गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार अधिकतम 10 साल में परिपक्व हो जाते है। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को राजस्व ग्राम बगड़ की भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म बंजड़। व खसरा नम्बर 448 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म बंजड़। कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

डिक्री व सिगे अपील
आर्डर 41रूल 35 जाब्ता दीवानी
Civil Procedure Code Appendix "G"9
अज अदालत राजस्व अपील अधिकारी सीकर
बइजलास श्री राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

1 सज्जनराम पुत्र मालाराम।
2 बिमला पुत्री मालाराम।
3 रामस्वरूप पुत्र सीताराम।
4 ओमप्रकाश पुत्र सीताराम।
5 सुभाष पुत्र सीताराम।
6 सम्पति पुत्री सीताराम।
7 मुन्नी पुत्री सीताराम।
8 लक्ष्मण पुत्र सीताराम समस्त जाति वाल्मिकी (भंगी) निवासी कस्बा बगड़ तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

नियमित अपील संख्या 55/2022 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू बाबत रेवेन्यू दावा संख्या 50/2015 उनवानी सज्जनकुमार आदि बनाम राज. सरकार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री राम रतन सौंकरिया आर.ए.एस. बहाजरी श्री औमप्रकाश डांगी वास्ते अपीलांट श्री विरेन्द्र सीगड़ वास्ते रेस्पोडेंट।

हुक्म दिया जाता है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को राजस्व ग्राम बगड़ की भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 0.08 हैक्टेयर किस्म बंजड़। व खसरा नम्बर 448 रकबा 0.08 हैक्टेयर बंजड़। कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावें।

डिक्री आज दिनांक 27/12/23 को जारी की गई।

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

नियमित अपीलकार	रूपया	पैसे	गैरनियमित अपीलकार	रूपया	पैसे
स्टाम्प नियमित अपील		00	स्टाम्प क्रोस अपील		00
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प वकालतनामा		00
नियमित अपील हुकमनामा		00	नियमित अपील हुकमनामा		00
वकील फीस बाबत		00	मेहनताना अपील		00
मीजान			मीजान		

हस्ताक्षर
मोहर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)